20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~केम्प सागर~~

चैना बल्द हल्कुआ कुश्वाहा ,

निबासी ग्राम नचनवारा तह एवं जिला टीकमगढ़

.............आवेदक

बिरूद्ध

म0 प्र0 शासन ....रिस्पॉडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है:-

1- यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर द्वारा प्र0 क0 1020/अ63/07-08 में पारित आलोच्य आदेश दिनाँक 21/02/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है जो जानकरी दिनॉक से समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि आवेदक को तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्र0 क0 261/अ-63/1984-85 में पारित आ0 दि0 25/09/85 के द्वारा ग्राम नचनवारा की भूमि खसरा नं0 0.316, 0,251, 0.281 पर ब्यवस्थापन किया था। आवेदक उपरोक्त भूमि पर अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा था। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवांही करते हुय पटवारी एवं रानि से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करके तथा अन्य संपूर्ण प्रकियाएं पूर्ण करने के उपरॉत आवेदक के नाम से ब्यवस्थापन किया था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन कि आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक अन्य आधारों के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निरा० प्रकरण क्रमांक 865/II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश चैना कुशवाहा वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(1)	
17-3-2016	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क0 1020/अ63/07/08 में पारित आदेश दिनांक आदेश दिनांक 21/02/2014 के विरूद्व प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये। आवेदक के अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क श्रवण किये गये। बिलंब का कारण समाधानप्रद होने से बिलंब माफ कर निगरानी समय सीमा में मान्य की गई। 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया कि ग्राम नचनवारा स्थित वाद भूमि का ब्यवस्थापन प्र0क0 27/अ–63/84–85 आदेश दिनांक 25/09/1985 के द्वारा किया था। तभी उसका खसरा पर नाम दर्ज हो गया था, जो अनवरत दर्ज चला आ रहा है। आवेदक द्वारा भूमि का बिकय नहीं किया है उसे काफी श्रम एवं लागत लगाकर कृषि योग्य बना लिया गया है। बंटन के करीब 25 साल बाद कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर नामांतरण निरस्त कर दिया। मैंने प्रकरण के अवलोकन से पाया कि वाद भूमि पर आवेदक का नाम 1985 से लगातार खसरा में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, कलेक्टर द्वारा आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किया है। बंटन	

होने एवं नाम दर्ज होने के 25 साल बाद वाद भूमि के संबंध में प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करना अति बिलंब से की गई कार्यवाही हैं, जबकि आवेदकगण लगातार वाद भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं, लगान दे रहे हैं। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि नामांतरण की जानकारी न हो। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर डीवी ने 2011 रानि 273 कमला सिंह वनाम शासन में ब्यवस्था दी है कि, स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेने की अधिकतम अवधि 180 दिन पर्याप्त है। इसके अलावा अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों में भी ब्यवस्था प्रदान की गई है।

अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर यह निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर टीकमगढ़ का प्र0 क0 19/स्व0निग/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 11/03/2008 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/02/2014 निरस्त किये जाते हैं, तथा आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण की वादभूमि खसरा नंबर 963 , 964 , 965 रकवा क्रमशः 0.316 , 0.259 , 0.231 हैक्टर पर पूर्ववत आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य